कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 21(7)2022–23/विकास/प्रमुवसं/5897 दिनांक 28/9/2022

कार्यालय आदेश

राज्य योजना के अन्तर्गत जूलीफलोरा उन्मूलन योजना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ 11(426)विकास–।।/ मुवजीप्र/2022–23/713 दिनांक 27.09.2022 से प्राप्त प्रस्तावों अनुसार बजट मद 4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01–वानिकी, 101–वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, 15–जूलीफलोरा उन्मूलन एवं स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का पुर्नवृक्षारोपण, 01– वनारोपण, 63–वृक्षारोपण में वर्ष 2022–23 हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आंवटन किया जाता है।

(राशि रू. लाखो में)

कार्यालय का नाम	पूर्व में आवंटित बजट	वर्तमान में आवंटित बजट	कुल आवंटन
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर	320.00	30.00	350.00
योगः–	320.00	30.00	350.00

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये –

1. उक्त आवंटित बजट संबंधित वन मण्डलो को अविलम्ब आवंटन किया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो/आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. वित्त (आय–व्ययक) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक F.4(1)FD-I(1)BUGET/2021 दिनांक 30.03.2021 में दिए गए निर्देशो के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही/स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
5. कार्यो को यथाशीध्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 21(7)2022–23/विकास/प्रमुवसं/5898–902 दिनांक 28/9/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित हैः

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर
2. वित्तिय सलाहकार वन विभाग, जयपुर
3. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली

(अमर सिंह गोठवाल)
मुख्य वन संरक्षक,(आयोजना)
राजस्थान,जयपुर